

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया (उ० प्र०) B.R.D.POST GRADUATE COLLEGE, DEORIA (U.P.)

e-mail : deoriabrdpg@gmail.com

परिचय

इस महाविद्यालय की स्थापना 1954 ई० में देवरिया शिक्षापरिषद्, देवरिया द्वारा की गयी। इसमें स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान, कृषि एवं बी०एड० तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र एवं कृषि प्रसार की शिक्षा दी जाती है। इन चार विषयों से शोध भी कराया जाता है। सत्र 2007 से राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास विषय में एम०ए० की कक्षाएँ भी संचालित हो रही हैं।

महाविद्यालय इस प्रदेश के पूर्वांचल का एक प्राचीन शिक्षण संस्थान है, जिसका इतिहास अत्यन्त गौरवशाली रहा है। अनुशासन, अध्ययन-अध्यापन, खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण पूर्वांचल में इसका विशिष्ट स्थान है। यह जनपद मुख्यालय से देवरिया-गोरखपुर राजमार्ग पर 1.6 किमी० पर स्थित है। देवरिया रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 1.8 किमी. है।

पाठ्य-विषय

कला-संकाय (Faculty of Arts.)

बी०ए० भाग एक, दो एवं तीन के छात्र/छात्राओं के लिए निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा है। दी० द० 30 गो० वि० गोरखपुर के निर्देशानुसार विषयों का विकल्प निर्धारित किया जाता है।

प्रायोगिक विषय	साहित्यिक विषय	मानविकी एवं सामाजिक विषय
1-भूगोल	1-अंग्रेजी	1-राजनीतिशास्त्र
2-मनोविज्ञान	2-हिन्दी	2-समाजशास्त्र
3-शारीरिक शिक्षा (कोई एक)	3-संस्कृत (कोई दो)	3-अर्थशास्त्र 4-मध्यकालीन इतिहास 5-शिक्षाशास्त्र 6-प्राचीन इतिहास (कोई दो)

परास्नातक (स्नातकोत्तर) स्तर Post Graduate Level

मध्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र विषय में स्ववित्त पोषित व्यवस्था के अन्तर्गत कक्षाएँ संचालित हैं। इसमें प्रत्येक कक्षा के प्रथम वर्ष में 60 छात्रों का प्रवेश होता है।

आलोक-

1. स्नातक कला की परीक्षा तीन भाग में होती है।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी को सामान्य हिन्दी (यदि किसी स्तर पर एडवांस हिन्दी न पढ़ा हो) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. स्नातक कला के अन्तर्गत केवल एक विषय में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं होगा।
4. स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी का पुनः स्नातक कक्षा में प्रवेश नहीं होगा।
5. भूगोल विषय का तृतीय वर्ष में शैक्षणिक पर्यटन अनिवार्य है।
6. इण्टर विज्ञान या कृषि में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी भूगोल ले सकते हैं।
7. अगर कोई छात्र अनुत्तीर्ण है तो उसी कक्षा में उसका संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं होगा।
8. स्नातक कक्षा में प्रवेश गलत होने की जानकारी होने के बाद प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. स्नातक परीक्षा में राष्ट्र गौरव की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि दिया जायेगा।

विज्ञान संकाय Faculty of Science

बी0एस-सी0 स्तर पर अधोलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती है।

1-गणित

2-भौतिक विज्ञान

3-रसायन विज्ञान

4-प्राणि विज्ञान

5-वनस्पति विज्ञान

संयुक्तियाँ : 1-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित

2-प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान

- 1- स्नातक विज्ञान की परीक्षा तीन भाग में होती है।
- 2- स्नातक विज्ञान में राष्ट्रगौरव की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।
- 3- स्नातक विज्ञान में प्रवेश गलत होने की जानकारी होने के बाद प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

कृषि संकाय Faculty of Agriculture

स्नातक स्तर :

1. बी0एस-सी0 (कृषि) की डिग्री 4 वर्षीय है। बी0एस-सी0 (कृषि) भाग 1 में 120 छात्रों का प्रवेश होता है। इतनी ही सीट शासन से निर्धारित है।
2. बी0एस-सी0 (कृषि) के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र इस प्रकार हैं-

बी0एस-सी0 (कृषि) भाग-1

- 1-सस्य एवं सस्य योजना
- 2-आन्तरिक आकारिक शस्य वर्गीकरण एवं पौध देहिकी
- 3-मृदा विज्ञान, पादप रसायन उर्वरक एवं खाद
- 4-कृषि कीट विज्ञान
- 5-पादप रोग विज्ञान
- 6-पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
- 7-कृषि अर्थशास्त्र

बी0एस-सी0 (कृषि) भाग-2

- 1-सांख्यिकी एवं प्रक्षेत्र प्रयोग
- 2-प्रक्षेत्र यांत्रिकी
- 3-दुग्ध विज्ञान
- 4-उद्यान विज्ञान
- 5-आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन
- 6-दुग्ध रसायन एवं पशु पोषण
- 7-कृषि प्रसार

बी0एस-सी0 (कृषि) भाग-3

- 1-जैव रसायन
- 2-सब्जियाँ एवं पुष्पोत्पादन
- 3-प्रक्षेत्र एवं भू-प्रबन्ध
- 4-भूमि एवं जल संरक्षण
- 5-पौध संरक्षण
- 6-सहकारिता विपणन एवं ग्रामीण समाजशास्त्र
- 7-मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन

बी0एस-सी0 (कृषि) भाग-4

- 1-उत्पादक प्राणि विज्ञान
- 2-दुग्ध प्रौद्योगिकी
- 3-बीज प्रौद्योगिकी
- 4-फलों एवं सब्जियों की व्याधियाँ
- 5-कृषि वित्त एवं ग्रामीण बैंकिंग
- 6-ग्रामीण समाजशास्त्र
- 7-जल प्रौद्योगिकी

आलोक-

1. बी0एस-सी0 (कृषि) के प्रत्येक भाग का प्रत्येक सिद्धान्त प्रश्नपत्र 50 अंक का होगा तथा प्रत्येक की प्रायोगात्मक परीक्षा 50 अंक की होगी।
2. बी0एस-सी0 (कृषि) में राष्ट्रगौरव की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

परास्नातक (स्नातकोत्तर) स्तर-Post Graduation Level

एम0एस-सी0 (कृषि) के निम्नलिखित 4 विषयों में अध्ययन एवं शोध की सुविधा है :-

- 1- कृषि अर्थशास्त्र (Agri. Economics)
- 2- कृषि प्रसार (Agri. Extension)
- 3- कीट विज्ञान (Entomology)
- 4- आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding)

आलोक : एम0एस-सी0 (कृषि) की उपाधि का पाठ्यक्रम दो वर्षीय है :-

शोध कार्य (Ph.D.)

शोध कार्य (Ph.D.), एम0एस-सी0 (कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इस महाविद्यालय से परास्नातक कृषि के चार विषयों-कृषि अर्थशास्त्र (Ag.Eco)/कृषि प्रसार (Ag. Extension)/कीट विज्ञान (Entomology)/अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding) में शोध कर सकते हैं। शोध कार्य के लिए दी0 द0 उ0 गो0 वि0 गोरखपुर शोध पात्रता परीक्षा कराता है। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही छात्र शोध कार्य के लिए पंजीकृत होंगे। नेट (NET) उत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय के अनुशंसा पर महाविद्यालय में शोध कार्य (Ph.D) हेतु सीधे प्रवेश ले सकते हैं।

शिक्षा संकाय (बी0एड0) Faculty of Education (B.Ed.)

भारत सरकार के एक विधिक संस्थान-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा बी0एड0 विभाग शासित एवं संचालित है। इसकी मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय समिति, जयपुर (राजस्थान) से प्राप्त है। बी0एड0 में प्रवेशार्थ सामान्य एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री अपरिहार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए यह बाध्यता नहीं है। बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0काम, बी0एस-सी0 (कृषि) उपाधिधारक अभ्यर्थी बी0एड0 करने के लिए अर्ह हैं। स्नातक उपाधिधारक वे ही अभ्यर्थी बी0एड0 के लिए अर्ह है जिन्होंने बी0ए0 के तीन वर्षों में दो विद्यालयीय विषय (हाईस्कूल स्तर के) पढ़े हैं। द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष अधिकतम 50 छात्र/छात्राओं का प्रवेश होता है। बी0एड0 प्रवेश परीक्षा उ0प्र0 संयुक्त पी0बी0ए0टी0 सम्पन्न कराती है एवं प्रवेशार्थ सूची भी वहीं से आती है। बी0एड0 के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक पर्यटन, स्काउट/गाइड प्रशिक्षण अनिवार्य है।

द्विवर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम की रूपरेखा

प्रथम वर्ष :

प्रथम प्रश्नपत्र	ज्ञान और पाठ्यक्रम	100 अंक
द्वितीय प्रश्नपत्र	बाल्यावस्था का विकास	100 अंक
तृतीय प्रश्नपत्र	समसामयिक भारत और शिक्षा	100 अंक
चतुर्थ प्रश्नपत्र	शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन	100 अंक
प्रायोगिक क्रिया कलाप		200 अंक

द्वितीय वर्ष :

पंचम प्रश्नपत्र	शिक्षण के सिद्धान्त एवं विधियां	100 अंक
षष्ठम् प्रश्नपत्र	विद्यालयी शिक्षण विषय-I	100 अंक
सप्तम् प्रश्नपत्र	विद्यालयी शिक्षण विषय-II	100 अंक
अष्टम् प्रश्नपत्र	जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा	100 अंक
प्रायोगिक क्रिया कलाप		200 अंक

नोट : प्रत्येक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित समूहों में से किन्हीं दो विषयों को शिक्षण विषय के रूप में चयन करना होगा। एक ग्रुप से एक ही विषय का चयन किया जा सकता है :-

ग्रुप-A	ग्रुप-B	ग्रुप-C	ग्रुप-D	ग्रुप-E
पदार्थ विज्ञान	जीव विज्ञान	गणित	वाणिज्य	अंग्रेजी
भूगोल	अर्थशास्त्र	इतिहास	नागरिक शास्त्र	हिन्दी
संस्कृत	कला & हस्तशिल्प		गृह विज्ञान	कृषि

परास्नातक (स्नातकोत्तर) स्तर स्ववित्तपोषित

स्ववित्तपोषित स्नातकोत्तर स्तर पर दो विषयों के अध्ययन की सुविधा है :-

1. एम०ए० (राजनीति शास्त्र)
2. एम०ए० (मध्यकालीन इतिहास)

छात्रों के प्रवेश के नियम तथा योग्यतायें

1. प्रवेश आवेदन पत्र प्राचार्य कार्यालय से रु० 200/- मात्र नकद देकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय से मिलने एवं जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी।
3. प्रवेश आवेदन पत्र दो प्रतियों में कार्यालय में जमा करते समय फार्म में संलग्न प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, अन्यथा फार्म गायब होने की दशा में कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
4. स्नातकोत्तर कृषि एवं कला में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्रमशः कृषि स्नातक और कला स्नातक होना चाहिए।
5. कला संकाय में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान, कृषि एवं वाणिज्य में उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को मा० शि० परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से विज्ञान में इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, बी०एड० एवं कृषि संकाय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं काउंसिलिंग द्वारा भेजे गये छात्रों का ही प्रवेश होगा।

7. कला संकाय, विज्ञान एवं कृषि संकाय में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को मात्र तीन वर्ष का अन्तराल ही दिया जा सकता है। चार या इससे अधिक वर्ष के अन्तराल के छात्रों को प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
8. अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को बी0ए0, बी0एस-सी0 भाग एक में पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं होगा।
9. महाविद्यालय में बी0ए0/बी0एस-सी0 भाग एक में अगर कोई छात्र प्रवेश लिया था लेकिन वि0वि0 गोरखपुर की परीक्षा में यू0एफ0एम0 के अन्तर्गत पकड़ा गया है तो पुनः उक्त कक्षा में प्रवेश संस्थागत नहीं होगा।
10. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश गलत होने की जानकारी होने के पश्चात महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. प्रवेश के लिए स्वीकृत अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यालय में शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
12. प्रवेश के समय छात्र/छात्रा का स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य है।
13. प्रवेश फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-
(1) हाईस्कूल अंकपत्र (2) इण्टर अंकपत्र (3) हाईस्कूल सनद (4) चरित्र प्रमाण पत्र (5) अन्तराल होने पर शपथपत्र

प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- (1) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र। (2) एक अतिरिक्त फोटो फार्म के साथ पिन करें। (3) अन्तिम संस्था के प्राचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र। (4) हाईस्कूल परीक्षा का अंक पत्र (5) इण्टरमीडिएट परीक्षा का अंक पत्र (6) स्नातक कृषि (चारों भाग के अंक पत्र) (7) आरक्षण के लाभार्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (8) इण्टर/स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अगर छात्र का अन्तराल है तो अन्तराल प्रमाण-पत्र या नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विशेष

1. प्रवेश आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी प्रविष्टि किसी भी स्तर पर पाई गई, तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्नक अपूर्ण होने पर प्रवेश आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
3. प्रवेश के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रमाण-पत्र जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा। फर्जी प्रमाण-पत्र जमा करने की दशा में दोषी अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वविद्यालयीय परीक्षाएँ

विश्वविद्यालयीय परीक्षाएँ विश्वविद्यालय की नीतियों तथा रीतियों के अनुसार निश्चित तिथियों में निर्धारित केन्द्र पर ही सम्पन्न होगी।

शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्तियाँ

1. अध्ययनरत आर्थिक रूप से गरीब छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जाती है।
2. अनुसूचित एवं परिगणित जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार की ओर से कई छात्रवृत्तियाँ और अन्य आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाती है।
3. पुस्तक क्रय हेतु आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्तियाँ मेधावी छात्रों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रदान की जाती है।

विशेष

1. जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।
2. अभिभावक के आय के सम्बन्ध में किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क मुक्ति की सुविधा दी जायेगी।

छात्र देय धन का भुगतान

1. छात्रवृत्ति, निर्धन सहायता, काशनमनी की वापसी तथा इस प्रकार का कोई भुगतान प्राचार्य अथवा प्रबन्ध समिति की सहमति के बाद चेक द्वारा ही छात्रों को देय होगी।
2. काशनमनी का भुगतान महाविद्यालय के अध्ययन छोड़ने के तीन वर्षों के भीतर निर्धारित प्रपत्र भर कर दिये जाने पर किया जायेगा।
3. प्रवेश प्राप्ति के पश्चात् किसी भी दशा में शुल्क की वापसी नहीं होगी।

ग्रन्थालय

निरन्तर विकासमान समृद्धशाली पुस्तकालय विद्यालय की उपलब्धि में से एक है। अनेक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक एवं मासिक पत्रिकाओं से समृद्ध एक अध्ययन कक्ष है जिसका प्रयोग सैद्धान्तिक और प्रायोगिक काम के लिए शिक्षक एवं छात्र भी कर सकते हैं।

एक दिन पूर्व पुस्तकों की मांग पुस्तकालय के कर्मचारी को दे देने पर वांछित पुस्तकें मिलने में सुविधा होती है। एम0एस-सी0 (कृषि) कक्षाओं के छात्रों हेतु विभागीय पुस्तकालय तथा अनुसंधान पत्रिकाओं की व्यवस्था प्रत्येक विभाग में है। पुस्तकालय से पुस्तकें पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए ही मिलेगी।

कक्षा में उपस्थिति

प्रत्येक कक्षा के छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। निर्धारित उपस्थिति न होने पर छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ संचालित हैं। तीसरी इकाई के लिए महाविद्यालय प्रशासन सतत् प्रयत्नशील है। जिनमें कार्यक्रम अधिकारी डा0 सतीशचन्द्र गौर व डा0 महेन्द्र विक्रम शाही हैं।

स्काउट की व्यवस्था

महाविद्यालय में स्काउट/गाइड की भी व्यवस्था है।

परिचय-पत्र

1. महाविद्यालय में परिचय-पत्र केवल एक सत्र के लिए मान्य है।
2. इसके खो जाने पर रुपया 15/- जमा करने पर ही दूसरा मिलेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर इसे दिखाना अनिवार्य है। यह अहस्तान्तरणीय है।

4. छात्र/छात्राओं के फोटोयुक्त परिचय-पत्र पर सम्बन्धित नियन्ता एवं मुख्य नियन्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
5. परिचय-पत्र का शुल्क प्रत्येक वर्ष में जमा करना अनिवार्य है।

साइकिल स्टैण्ड

छात्रों को साइकिल/मोटर साइकिल की सुरक्षा के लिए स्टैण्ड की व्यवस्था है। स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्यत्र साइकिल या मोटर साइकिल रखने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खेल-कूद

महाविद्यालय में खेल-कूद के लिए समुचित व्यवस्था है। महाविद्यालय के पास व्यवस्थित क्रीड़ा स्थल है। जहाँ निरन्तर खेल होते हैं। छात्र/छात्राओं में स्वस्थ-प्रतियोगिता के प्रोत्साहन के लिए विद्यालय निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगितायें प्रतिवर्ष आयोजित होती हैं।

प्रत्येक खेल के लिए अध्यापकों में से प्राचार्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की एक समिति होती है जो खेल-कूद सम्बन्धित सभी क्रिया-कलाप निर्धारित एवं आयोजित कराती है। इस समिति में छात्र/छात्राओं के प्रतिनिधि होते हैं जो प्राचार्य द्वारा मनोनित किये जाते हैं। खेल-कूद सम्बन्धित अध्ययन व व्यवस्था के लिए शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हैं।

छात्र संघ

छात्रों में जनपद के मूल तत्वों के व्यवहारिक ज्ञान, सामूहिक नेतृत्व एवं उनके बहुआयामी विकास के लिए छात्रसंघ स्थापित है। इसके पदाधिकारियों का चुनाव शासन के आदेश/निर्देश के अनुसार और छात्रों द्वारा गुप्त मतदान विधि से किया जाता है। छात्र संघ की सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्यतः देय है। छात्रसंघ अथवा उनके पदाधिकारियों द्वारा किये गये कार्य यदि अमर्यादित एवं महाविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी अथवा छात्रहित के विरुद्ध है तो उस दशा में प्राचार्य छात्रसंघ भंग कर सकता है, और उसके समस्त अधिकार अपने पास सुरक्षित कर सकता है।

छात्रसंघ के समस्त कार्य-कलापों की देख-रेख प्राचार्य द्वारा नामित शिक्षक निदेशक करता है। छात्रसंघ भवन में यदि कोई भी छात्र/छात्रा प्रतिनिधि अथवा छात्रसंघ का पदाधिकारी नशाखोरी करता है, कोई अवैध सामग्री रखता है अथवा छात्रसंघ भवन की कोई भी सामग्री नष्ट करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। छात्रसंघ भवन का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर वर्जित है। छात्रसंघ का गठन 30प्र0 शासन के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। **छात्रसंघ चुनाव में किसी भी संकाय के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रा को चुनाव लड़ने के लिए पदेन अध्यक्ष/जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है।** चुनाव के दौरान **लिंगदोह कमेटी** के निर्णयों को मानना अनिवार्य होगा।

छात्रावास

महाविद्यालय में छात्रों की आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास की व्यवस्था है। जिनका संचालन प्राचार्य द्वारा नामित शिक्षक अभिरक्षक की देख-रेख में होता है। छात्रावास में छात्रों के लिए खेल-कूद एवं समाचार पत्र-पत्रिका की व्यवस्था है। छात्रावास में प्रवेश हेतु दूर दराज से आये छात्रों, विशिष्ट प्रतिभाशाली एवं खेल-कूद में प्रवीण छात्रों को वरीयता दी जाती है।

छात्रावास के लिए चयनित अभ्यर्थी को पूरे वर्ष की निर्धारित शुल्क (रु0 पाँच हजार मात्र) एक मुश्त कार्यालय में प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है। छात्रावास का प्रत्येक छात्र पूर्ण रूपेण अभिरक्षक के नियंत्रण में रहेगा। किसी

भी तरह की अनुशासनहीनता, नशाखोरी या अन्य आपत्तिजनक आचरण में लिप्त छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

छात्रावास अधीक्षक के रात्रिकालीन आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने वाला छात्र विशेष दण्ड का भागी होगा। छात्रावास का कोई भी छात्र किसी भी दशा में विद्युत हीटर, वाद्ययंत्र आदि जो अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग नहीं करेगा।

छात्रावास में प्रवेश केवल एक सत्र के लिए दिया जायेगा। ऐसे छात्र को छात्रावास में पुनः प्रवेश दिया जा सकता है, जिसका शैक्षिक प्रगति एवं व्यवहार संतोषजनक होगा।

रेल भाड़े में रियायत

1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं को एम0एस0टी0 की सुविधा उपलब्ध है।
2. रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत रेलवे रियायती टिकट विशेष अवसरों पर जैसे ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश, दशहरा, दीपावली एवं शैक्षिक-पर्यटन हेतु महाविद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालय पत्रिका

आत्माभिव्यक्ति एवं नवलेखन के प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए महाविद्यालय की पत्रिका का वार्षिक अंक प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। इसमें प्राध्यापकों एवं छात्र/छात्राओं के लेख होते हैं। प्राचार्य इस पत्रिका का संरक्षक होता है और वही सम्पादक मण्डल को मनोनीत करता है।

कालेज यूनिफार्म

- 1- B.Ed. व Ph.D. के छात्र-छात्राओं को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को सफेद फुल स्लीवशर्ट और स्लेटी फार्मल पैन्ट यूनिफार्म के रूप में पहनना होगा। सभी छात्राओं को स्लेटी समीज-सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा यूनिफार्म के रूप में पहनना होगा।
- 2- B.Ed. छात्रों को सफेद शर्ट-सफेद पैन्ट पहनना है। B.Ed. छात्राओं को लाल बार्डर वाली सफेद साड़ी या सफेद सलवार-सूट व लाल दुपट्टा यूनिफार्म के रूप में पहनना होगा।

अनुशासन

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा से अनुशासित विनम्र एवं शिष्ट आचरण की अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं के लिये पान, पान-मसाला, बीड़ी-सिगरेट एवं अन्य किसी भी प्रकार का नशा का सेवन करना वर्जित है। इनका पालन न करना गम्भीर अनुशासनहीनता होगी। ऐसे छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

महाविद्यालय में सुव्यवस्था, शान्ति एवं अनुशासन की स्थापना हेतु अनुशासन समिति (नियन्ता मण्डल) होती है। जिसके सहयोग के लिए उप मुख्य नियन्ता नियुक्त होता है, अनुशासन समिति का अध्यक्ष मुख्य नियन्ता होता है, जो प्राचार्य द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। अनुशासन समिति का गठन मुख्य नियन्ता द्वारा किया जाता है जिसमें प्रत्येक संकाय के प्राध्यापक प्रतिनिधि होते हैं। नियन्ता मंडल को अलग-अलग कक्षाओं में अनुशासन, शान्ति व सुव्यवस्थित बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अनुशासन समिति (नियन्ता मण्डल) की बैठक माह में दो बार अवश्य होती है, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य को भी आमंत्रित किया जाता है। अनुशासनहीनता संबंधी प्रत्येक विवाद इसी अनुशासन समिति द्वारा निर्धारित होता है।

रैगिंग हेतु दिशा निर्देश

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के अन्दर एक स्वच्छ वातावरण का माहौल बनाना होगा। जिसके निमित्त किसी भी प्रकार की रैगिंग महाविद्यालय के अन्दर निषेध है। यदि कोई छात्र या छात्रा रैगिंग करता पाया जाता है उसे एन्टी रैगिंग अधिनियम में उल्लिखित नियमों के आधार पर महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

पाठ्य सहगामी एवं शिक्षणेतर कार्यकलाप

शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य सहगामी एवं शिक्षणेतर क्रिया-कलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। छात्रों में नेतृत्व, सहकारिता, निर्णयक्षमता, आदि के लिये समय-समय पर महाविद्यालय में पाठ्य सहगामी एवं शिक्षणेतर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

पुरस्कार एवं दक्षता प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित प्रकार के पुरस्कार एवं दक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं-

1. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर।
2. आदर्श आचरण, कार्य एवं व्यवहार के लिए।
3. विभिन्न समितियों में कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए।
4. निबन्ध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ/उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए।
5. विभिन्न प्रकार के खेल-कूद में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए।
6. किसी अति विशिष्ट उपलब्धि या प्रशंसनीय कार्य के लिए।

कम्प्यूटर ट्रेनिंग कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित कम्प्यूटर ट्रेनिंग कार्यक्रम पिछले सत्र से महाविद्यालय में प्रारम्भ हो चुका है। महाविद्यालय के जो छात्र/छात्राएं इस कम्प्यूटर कार्यक्रम में प्रवेश लेंगे उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सफल होने पर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। यह प्रमाण-पत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं प्राइवेट संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने हेतु अत्यन्त उपयोगी हैं।

सुव्यवस्थित, गहन एवं उच्च कोटि की आधुनिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग की यह सुविधा जनपद के इसी महाविद्यालय में सुलभ है। इससे महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग मिलती है।

शुल्क एवं इसका भुगतान

उत्तर प्रदेश शासन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश के दौरान ही छात्र/छात्राओं को जमा करना होगा। सभी कक्षाओं के भाग एक में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं एवं दूसरे महाविद्यालय से आये छात्र/छात्राओं द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपये 50.00 देय होगा।

छात्रों द्वारा वार्षिक देय शुल्क

S.No.	Account No.	B.A.	B.Sc.	B.Sc.(Ag.)	M.Sc. (Ag)	B.Ed. IInd
1.	Admission Fee	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.	S.R. Fee	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.	Tution Fee	132.00	132.00	132.00	180.00	1320.00
4.	D.A. Fee	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
A -Total		180.00	180.00	180.00	228.00	1368.00
5.	Student aid Fee	40.00	40.00	40.00	40.00	
6.	Development Fee	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.	Cycle Fee	100.00	100.00	100.00	100.00	
8.	Electricity Fee	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
9.	Coution Mony	150.00	150.00	150.00	150.00	
10.	Identity Card Fee	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00
11.	Union Fee	85.00	85.00	85.00	85.00	
12.	Medical Fee	50.00	50.00	50.00	50.00	
13.	Magazin Fee	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
14.	Game Fee	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
15.	University Fee	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	2350.00
16.	Enrolment Fee				200.00	500.00
17.	Laboratory Fee	240.00	1000.00	1000.00	1000.00	240.00
18.	Reading Room Fee	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
19.	Library Fee	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.	Rastra Gaurav (MISC)	239.00	239.00	239.00	174.00	127.00
21.	Cultural Programme					75.00
B- Total		3019.00	3779.00	3779.00	3814.00	3982.00
Grand Total		3199.00	3959.00	3959.00	4042.00	5350.00

नोट : B.A.II, III, B.Sc.-II,III, B.Sc. (Ag) II,III,IV एवं M.Sc. (Ag) II में काशनमनी, नामांकन शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2. हास्टल की वार्षिक फीस रुपया 5000.00 (पाँच हजार रुपये) जमा कराया जायेगा।
3. हास्टल आवेदन-पत्र प्राचार्य कार्यालय से 100.00 रुपये मात्र नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. Ph.D में प्रवेश हेतु शुल्क, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नियमानुसार देय होगा।

नोट : उपरोक्त शुल्क गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अनुरूप है, जो कि घट-बढ़ सकता है।

शिक्षक परिवार

डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही

एम.एस-सी., पी-एच०डी०

प्राचार्य

कला संकाय

1. अंग्रेजी विभाग	पद रिक्त	--
2. हिन्दी विभाग		
1-प्रद्योत कुमार सिंह	एम०ए०, नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. संस्कृत विभाग		
1-डॉ० कमलापति	एम०ए०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर (सेवानिवृत्त)
4. भूगोल विभाग	डॉ० (श्रीमती) सुशीला सिंह	मानदेय (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
5. मनोविज्ञान विभाग		
1-डॉ० हरिओम गुप्ता	एम०ए०, नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
6. शिक्षाशास्त्र विभाग		
1-डॉ० श्रीमती संध्या उपाध्याय	एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2-श्री विवेकानन्द	एम०ए०, नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर
7. राजनीति विज्ञान विभाग		
1-डॉ० समरेन्द्र बहादुर शर्मा	एम०ए०, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
2-डॉ० भावना सिन्हा	एम०ए०, पी-एच०डी०	स्ववित्तपोषित मानदेय प्रवक्ता
3-डॉ० आद्याशंकर मिश्र	एम०ए०, पी-एच०डी०	स्ववित्तपोषित मानदेय प्रवक्ता
8. मध्यकालीन इतिहास विभाग		
1-डॉ० राकेश चन्द्र दूबे	एम०ए०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2-श्री मुकुल लवानिया	एम०ए०, नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर
3-डॉ० सचिन्द्र पाण्डेय	एम०ए०, पी-एच०डी०	स्ववित्तपोषित मानदेय प्रवक्ता
4-डा० उपेन्द्र प्रताप सिंह	एम०ए०, पी-एच०डी०	स्ववित्तपोषित मानदेय प्रवक्ता
9. समाजशास्त्र विभाग		
1-डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह	एम०ए०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2-डॉ० शिशिर कुमार पाण्डेय	एम०ए०, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
10. अर्थशास्त्र विभाग		
1-श्री राजीव कुमार सिंह	एम०ए०, नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर
11. प्राचीन इतिहास		
1-डॉ० ज्ञानेन्द्र पाल	एम०ए०, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा संकाय

बी०एड० विभाग

1. डॉ० श्रीमती कुसुम सिंह	एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० कृष्णदेव त्रिपाठी	एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ० मैथिलीरमण प्रसाद सिंह	एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ० लोकेश त्रिपाठी	एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
5. श्री संजय कुमार	एम०एस-सी., एम०एड०, नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डॉ० राजकुमार यादव	एम०ए०, एम०एड०, पी०एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
7. डॉ० अजय कुमार सिंह	एम०एस-सी०(मैथ्स), एम०एड०, नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर

कृषि संकाय

1. कृषि प्रसार विभाग		
1. डॉ० रामप्रीति त्रिपाठी	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० प्रदीप द्विवेदी	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ० विकास कुमार	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ० महियुद्दीन खान	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	मानदेय (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
2. कृषि अर्थशास्त्र विभाग		
1. डॉ० विनय कुमार रावत	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० सतीश चन्द्र वर्मा	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ० विजय कुमार पाल	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ० हृदय कुमार	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डॉ० माहेश्वर सिंह	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	मानदेय (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
3. कृषि कीट विज्ञान विभाग		
1. डॉ० रजनीश कुमार	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० अमरेन्द्र प्रताप सिंह	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ० देवेन्द्र कुमार यादव	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ० लालचन्द्र सिंह	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	मानदेय (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
4. आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग		
1. डॉ० पी०एन० सिंह	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० श्री निवास सिंह	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ० सतीश चन्द्र गौड़	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ० गिरीशचन्द्र तिवारी	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डॉ० निलेश उपाध्याय	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	मानदेय प्रवक्ता
5. पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग		
1. श्री अवधेश सिंह	एम०एस-सी० (कृषि)	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ० नरेन्द्र कुमार	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
6. कृषि रसायन विभाग		
1. डॉ० संजय कुमार	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० दिलीप कुमार शर्मा	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ० सुरेश मिश्र	एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०	मानदेय (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
7. कृषि अभियंत्रण विभाग	पद रिक्त	--
8. भूमि संरक्षण विभाग		
1. डॉ० अवधेश कुमार	एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच-डी०	असिस्टेंट प्रोफेसर

9. पादप रोग विज्ञान विभाग

1. डॉ० ओमप्रकाश यादव

एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच-डी०

असिस्टेंट प्रोफेसर

10. पौध संरक्षण विभाग

पद रिक्त

--

11. उद्यान विभाग

1. डॉ० सतेन्द्र कुमार सिंह

एम०एस-सी०(कृषि), नेट, पी-एच०डी०

असिस्टेंट प्रोफेसर

2. श्री विवेक कुमार सिंह

एम०एस-सी०(कृषि), नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर

12. सस्य विज्ञान विभाग

1. डॉ० सुबाश चन्द

एम०एस-सी० (कृषि), नेट, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर

विज्ञान संकाय

रसायन विभाग

1. डॉ० कृष्ण कुमार ओझा

एम०एस-सी०, पी-एच०डी०

असिस्टेंट प्रोफेसर

2. श्री अमरनाथ

एम०एस-सी०, नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर

3. श्री विनय कुमार सिंह

एम०एस-सी०, नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर

4. डा० अरविन्द यादव

एम०एस-सी०, नेट, पी-एच०डी०, नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर

प्राणि विज्ञान विभाग

1. डा० सुधीर कुमार

एम०एस-सी०, नेट, पी-एच०डी०

असिस्टेंट प्रोफेसर

भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ० रमेश कुमार यादव

एम०एस-सी०, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ० हरिशंकर गोविन्द राव

एम०एस-सी०, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर

2. श्री चन्द्रशेखर मिश्र

एम०एस-सी०, नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर

गणित विभाग

1. डा० विद्यासागर चौबे

एम०एस-सी०, पी-एच०डी०

असिस्टेंट प्रोफेसर

खेल-कूद

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ० अभिनव सिंह

एम०पी-एड०, नेट, पी-एच०डी०

असिस्टेंट प्रोफेसर

केन्द्रीय ग्रन्थालय

1. पुस्तकालयाध्यक्ष

पद रिक्त

2. पुस्तकालयाध्यक्ष

पद रिक्त

कार्यालय से सम्बन्धित लिपिक एवं कर्मचारी

1.	श्री गगन पाल सिंह	प्रभारी कार्यालय अधीक्षक
2.	श्रीमती गोदावरी मिश्रा	वरिष्ठ लिपिक
3.	श्रीमती मीरा सिंह	वरिष्ठ लिपिक
4.	श्री मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय	आशुलिपिक
5.	उद्देश्य तिवारी	कार्यालय सहायक
6.	अगम गम्भीर	कार्यालय सहायक
7.	श्री प्रशान्त श्रीवास्तव (सतीश श्रीवास्तव)	कार्यालय सहायक
8.	श्री महेन्द्र कुमार यादव	चौकीदार
9.	श्री राजेश मणि त्रिपाठी	बिल्डिंग सुपरवाइजर/सुपरवाइजर
10.	श्रीमती सुभद्रा देवी	दफ्तरी
11.	श्री उपेन्द्र कुमार	माली
12.	श्री बसन्त कुमार रावत	माली
13.	श्री रामगणेश सिंह	चौकीदार
14.	श्री उमेश यादव	चौकीदार
15.	श्री रामनाथ सिंह	चौकीदार
16.	श्रीमती गीता देवी	स्वीपर
17.	श्री सन्तोष कुमार पाल	माली
18.	श्री भोला	परिचर
19.	श्री जितेन्द्र कुमार चौहान	चपरासी

प्रयोगशाला सहायक एवं परिचर

1. श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्र	लैब असिस्टेंट (जन्तु विज्ञान)
2. श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी	लैब असिस्टेंट (भौतिक विज्ञान)
3. श्री हरिश्चन्द्र	" " प्रयो0 सहायक
4. श्री हरेन्द्र कुमार गौड़	" " प्रयो0 सहायक
5. श्री शशिकान्त यादव	" " प्रयो0 सहायक
6. श्री राजेश कुमार शुक्ल	" " प्रयो0 सहायक
7. श्रीमती निशा सिंह	" " प्रयो0 सहायक
8. श्री सच्चिदानन्द चौहान	" " प्रयो0 सहायक
9. श्री बृजेश कुमार सिंह	" " प्रयो0 सहायक
10. श्री धर्मपाल	" " प्रयो0 सहायक
11. श्री विवेक कुमार शुक्ला	" " (वनस्पति विज्ञान)
12. श्री रामबदन खरवार	" " (रसायन विज्ञान)
13. श्री राजेन्द्र यादव	प्रयोगशाला परिचर (वनस्पति विज्ञान)
14. श्री प्रभाकर राम त्रिपाठी	प्रयोगशाला परिचर (कृषि अर्थशास्त्र)
15. श्री सत्राजीत यादव	प्रयोगशाला परिचर
16. श्री जयप्रकाश	प्रयोगशाला परिचर
17. श्रीमती गीता देवी	प्रयोगशाला परिचर
18. श्री सूरज राजभर	प्रयोगशाला परिचर

मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र

यह महाविद्यालय दो मुक्त विश्वविद्यालयों का अध्ययन केन्द्र है-

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली (समन्वयक-डॉ० श्रीनिवास सिंह, 7905947624)।
 2. 30प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (समन्वयक-डॉ० सतीश चन्द्र गौड़, 9450672311)
- उक्त विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित समन्वयकों से सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

पाठ्यक्रमों की विशेषता

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्यतः कोई आयु सीमा नहीं है।
2. नौकरी पेशा वाले व्यक्ति भी अपनी संस्था में सेवारत रहते हुए भी पठन-पाठन कर सकते हैं।
3. पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम समय अवधि में पूरा किया जा सकता है।
4. शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मुद्रित सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
5. इस केन्द्र पर पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है।
6. सत्र आगामी जुलाई से प्रारम्भ होगा, जिसके लिये आवेदन-पत्र का वितरण मई माह से प्रारम्भ किया जायेगा।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को सामान्यतः छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
8. शिक्षार्थी एक साथ ही शैक्षिक सत्र में स्नातक कोर्स के साथ एक डिप्लोमा कोर्स अथवा एक प्रमाण पत्र कोर्स में प्रवेश ले सकता है।
9. प्रवेश आवेदन-पत्र अध्ययन केन्द्र पर प्राप्त हो सकेगा।

डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही
प्राचार्य